बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रत्रांकः– प्र0 / BSP(H)CL-04/2017 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस से अधिक अनुमानित ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के कारण राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के दोनों वितरण कम्पनियों को अनुमानित वित्तीय हानि की राशि की भरपाई हेतु कुल 968.88 करोड (नौ सौ अड़सठ करोड़ अठासी लाख) रूपये स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 के अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि के लिए 80.74 करोड़ (अस्सी करोड़ चौहतर लाख) रूपये प्रति माह की दर से बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भुगतान हेतु पूँजीगत निवेश (Equity) के मद में उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य के विद्युत संरचना को तैयार एवं सुदृढ़ करने का कार्य विगत कुछ वर्षों से किया जा रहा है। विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप राज्य में विद्युत आपूर्ति की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में कुल विद्युत खपत 13266 एम0यू0 था जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 24609 एम0यू0 हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल विद्युत खपत की मात्रा लगभग 27178 एम0यू0 रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में विद्युत आपूर्ति की मात्रा बढ़कर 29403 एम0यू0 अनुमानित है। वर्षवार विद्युत खपत की मात्रा निम्न तालिका में दृष्टव्य है :–

वर्ष	विद्युत खपत (एम0यू0 में)
2012–13	13266
2013–14	15044
2014–15	18730
2015–16	23325
2016–17	24609
2017–18	27178 (औपबंधिक)
2018–19	29403 (अनुमानित)

2. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012–13 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 8–10 घंटे एवं शहरी क्षेत्रों में 16–20 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती थी। परन्तु, विगत दो वर्षों से राज्य में ग्रामीण उपभोक्ताओं को औसतन 18–20 घंटे एवं शहरी उपभोक्ताओं को 22–24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्युत उपभोक्ता की संख्या भी 37,88,289 (नवम्बर, 2012) से बढ़कर मार्च, 2018 में 1,13,26,643 (औपबंधिक) हो गई है। राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित सात निश्चय के अन्तर्गत मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत् हर–घर बिजली दिसम्बर, 2018 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत तक विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 1.39 करोड़ हो जायेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 तक वितरण कम्पनियों के अनुमानित वार्षिक व्यय में राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि को घटाने के पश्चात शेष राशि के आधार पर

आयोग के द्वारा टैरिफ निर्धारित किया जाता था। राज्य सरकार द्वारा दोनों वितरण कम्पनियों को रिसोर्स गैप के तहत् उपभोक्ताओं को दी जाने वाली अनुदान की राशि एवं वितरण कम्पनियों को मानक से अधिक ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के फलस्वरूप होने वाली अनुमानित वित्तीय हानि की भरपाई दी जाने वाली अनुदान की राशि को समेकित रूप से दिया जाता था। वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक रिसोर्स गैप के तहत् वितरण कम्पनियों को दी गई अनुदान की राशि निम्न तालिका में दृष्टव्य है:–

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	रिसोर्स गैप के तहत् दी गई कुल राशि
2013–14	2655.60
2014–15	3282.48
2015–16	4900.00*
2016–17	5720.65 **

*509.64 करोड़ रूपये राज्य सरकार के विभागों के लम्बित विद्युत विपत्र के विरूद्ध दी गई राशि सहित।

**1886.65 करोड़ रूपये उदय योजना के तहत् बकाये ऊर्जा विपत्र के भुगतान के लिए निवेश स्वरूप दी गई राशि सहित।

4. गत वितीय वर्ष 2017–18 के प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए प्रति युनिट विद्युत अनुदान के मद में कुल 2,952 करोड़ रूपये का अनुदान पृथक रूप से स्वीकृत किया गया। साथ हीं वितरण कम्पनियों के आयोग द्वारा निर्धारित ए0टी0 एण्ड सी लॉस की अपेक्षा वास्तविक ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के अधिक होने के कारण हुई वितीय हानि के लिए 1476.00 करोड़ रूपये इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार कुल 4428.00 करोड़ रूपये अनुदान एवं इक्विटी स्वरूप वितरण कम्पनियों को उपलब्ध कराये गये।

5. विदित है कि वितरण कम्पनियों के द्वारा अनुमानित वार्षिक व्यय के आधार पर आयोग के समक्ष याचिका दायर की जाती है। वर्ष 2017–18 के पूर्व आयोग द्वारा वितरण कम्पनियों के कुल अनुमानित लागत में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को घटाने के पश्चात् शेष राशि के आधार पर जाँचोपरान्त टैरिफ निर्धारित किया जाता था। परन्तु वर्ष 2017–18 के लिए दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ याचिका को शुन्य अनुदान पर दायर की गई। विदित है कि वर्ष 2017–18 के पूर्व, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति पर वास्तावित लागत की जानकारी का सर्वथा अभाव बना रहता था तथा राज्य सरकार से दी जा रही अनुदान की भी जानकारी नहीं रहती थी। अतः एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017–18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर दायर किया गया। तदनुसार आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 से टैरिफ का निर्धारण लागत के आधार पर अनुदान रहित निर्गत किया जा रहा है। इस नीतिगत निर्णय से वितरण कम्पनियों को Aggregate Technical & Commercial Loss (AT&C Loss) में क्रमिक कमी लाने हेतु गहन अनुश्रवण भी संभव हो पा रहा है। वर्ष 2017–18 से उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत आपूर्ति लागत एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि विद्युत विपत्र में ही अंकित रहती है जो पूरी तरह से पारदर्शी है।

6. तदनुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई अनुदान राशि के लिए कुल 4137.00 करोड़ रूपये

की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आयोग द्वारा निर्धारित ए0टी0एण्ड सी0 लॉस से वास्तविक ए0टी0एण्ड सी0 लॉस में अन्तर होने के कारण अनुमानित वित्तीय हानि की राशि भरपाई हेतु स्वीकृति दिया जाना है।

7. आयोग द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए निर्गत टैरिफ में दोनों वितरण कम्पनियों यथा सा0बि0पा0डि0कं0लि0 एवं ना0बि0पा0डि0कं0लि0 के लिए ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस की मात्रा क्रमशः 22% एवं 20% निर्धारित की गई है। विदित है कि वर्ष 2016–17 के दौरान सा0बि0पा0डि0कं0लि0 एवं ना0बि0पा0डि0कं0लि0 का ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस 44.32% एवं 34.20% था। वर्ष 2017–18 के दौरान दोनों वितरण कम्पनियों के द्वारा सभी उपभोक्ताओं के लिए स्पॉट बिलिंग की शुरूआत करने एवं वसूली के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के फलस्वरूप ए0टी0एण्ड सी0 लॉस क्रमशः 35% एवं 29% अनुमानित है। अतः आयोग द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए सा0बि0पा0डि0कं0लि0 एवं ना0बि0पा0डि0कं0लि0 निर्धारित ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस की औसत दर 22% एवं 20% की तुलना में वास्तविक ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस 29% एवं 23.50% होने का अनुमान है। इस आधिक्य ए0टी0 एण्डी सी0 लॉस के मद में दोनों वितरण कम्पनियों को **कुल 968.88 करोड़ रूपये** की वित्तीय हानि अनुमानित है। यह राशि विगत वर्ष 2017–18 के लिए स्वीकृत राशि 1476 करोड़ रूपये की तुलना में 507.12 करोड़ रूपये (34%) कम है। यह कमी दोनों वितरण कम्पनियों के बेहतर संचालन से संभव होगा।

8. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस से अधिक अनुमानित ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के कारण राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के दोनों वितरण कम्पनियों को अनुमानित वित्तीय हानि की राशि की भरपाई हेतु कुल 968.88 करोड (नौ सौ अड़सठ करोड़ अठासी लाख) रूपये स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 के अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि के लिए 80.74 करोड़ (अस्सी करोड़ चौहतर लाख) रूपये प्रति माह की दर से बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भुगतान हेतु पूँजीगत निवेश (Equity) के मद में उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

9. उक्त राशि 968.88 करोड (नौ सौ अड़सठ करोड़ अठासी लाख) रूपये में से अप्रैल, 2018 के लिए यथाशीघ्र एवं माह मई, 2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख को अथवा अवकाश की स्थिति में इसके ठीक पूर्व कार्य दिवस को बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भुगतान किया जाएगा।

10. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष– 190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं0–10 उपशीर्ष–0111 बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900111 विषय शीर्ष–5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

11. बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 968.88 करोड (नौ सौ अड़सठ करोड़ अठासी लाख) रूपये की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना

के चालू खाता संख्या– 10839114909 एवं आइ0एफ0एस0सी0 कोड– SBIN0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायेगी।

12. उपलब्ध कराई गई राशि की उपयोगिता प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

13. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

14. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र0/BSP(H)CL-04/2017 के पृष्ठ संख्या 40/टि0 पर दिनांक 26.04.2018 को प्राप्त है।

15. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– प्र0/BSP(H)CL-04/2017 के पृष्ठ संख्या– 43/टि0 पर दिनांक– 27.04.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र0/BSP(H)CL-04/2017 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र0/BSP(H)CL-04/2017 1224 पटना, दिनांक– 27/04/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा विभाग (तीन प्रतियों में) पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना /प्रबन्ध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

10